निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 571) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(औ0)–17–04/2004/1104—श्री राम कैलास दास (आई0 डी0–3865), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी, गया द्वारा पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी, गया के अन्तर्गत पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि0 दू0–136.0 से 209.0 के बीच पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 547 दिनांक 15.07.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गईः–

1. पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि0 दू0–136 से 145 के बीच एवं वि0 दू0–186 से 209 के बीच वर्ष 1999–2000 में लिए गए लेवल के आधार पर नवम्बर 2003 में प्राक्कलन तैयार कर इसकी स्वीकृति ली गई तथा फरवरी 2004 में इसी पुराने लेवल को आधार मानकर मापपुस्त में प्री लेवल अंकित कर कार्य एवं भुगतान किया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

2. उपरोक्त पुराने लेवल को आधार मानकर कार्य कराया गया जिसके फलस्वरूप नहर तल का रूपांकन लेवल प्रभावित हुआ जिसका FSD एवं रूपांकित जलश्राव में कमी के रूप में देखा गया, सिंचाई क्षमता का ह्रास हुआ जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

3. उक्त कार्य के कार्य आवंटन आदेश में मुख्य अभियन्ता द्वारा आदेश दिया गया था कि उपरोक्त कार्य का प्री लेवल की जॉच गुण नियंत्रण संगठन से कराई जाए जबकि आपने इसके विरूद्व प्री लेवल की जॉच सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के कार्यपालक अभियन्ता से कराया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

4. सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि0 दू0–136 से 145 के बीच पुनर्स्थापन कार्य के लिए आवश्यक मिट्टी की कुल मात्रा 125484.27 धन मीटर की प्राक्कलन स्वीकृति के समय अनुमानतः कुल मात्रा का 80 प्रतिशत (अर्थात 100387.42 धनमीटर) यांत्रिक साधन से ढुलाई कराने एवं 20 प्रतिशत (अर्थात 25096.85 धनमीटर) को हेड लोड से मिट्टी कार्य कराने की स्वीकृति प्राप्त किया गया। वास्तविक ढुलाई की मात्रा की मापी किए बिना प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार आपने दर्ज मापी को जॉच कर भुगतान किया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

5. उक्त कार्य में ½ कि0 मी0 से मिट्टी ढुलाई के लीड प्लान में सहायक अभियंता से जाँच कराए बिना स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया जो संदेहास्पद है। इसके लिए आप दोषी पाए गए।

6. उक्त कार्य में ½ कि0 मी0 से यॉत्रिक साधन की ढुलाई की दर से 100180.53 घनमीटर मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया जबकि उड़नदस्ता जाँच दल ने इस मद में वास्तविक रूप से 48805 घनमीटर मिट्टी कार्य का

आकलन किया है। अतएव आपके द्वारा 51375.53 घनमीटर मिट्टी का मात्रा का अतिरेक राशि 2134651.00 रूपये का भुगतान किया गया जिसके आप दोषी पाए गए।

7. उक्त कार्य से संबंधित लेवल बुक में दर्शाए गए बौरोपिट एवं स्थल पर उपलब्ध बौरोपिट की वास्तविक स्थिति जाँच दल द्वारा समरूप नहीं पाया गया। साथ ही बौरोपिट एरिया का प्री–लेवल एवं पोस्ट लेवल मापपुस्त में दर्ज नहीं किया जिसके लिए आपको दोषी पाया गया।

8. उक्त कार्य की समाप्ति दिनांक 29.03.04 को ही हो चुकी थी परन्तु जाँच कार्य के समय तक अन्तिम मापी कराकर अंतिम विपत्र तैयार नहीं कराने के लिए आप दोषी माने जाते हैं।

9. उक्त कार्य के बौरो एरिया के प्री–लेवल एवं पोस्ट लेवल की जाँच असम्बद्ध प्रमण्डलों से नहीं कराया गया जिसके लिए आप दोषी माने जाते हैं।

10. पूर्वी सोन नहर उच्च स्तरीय मुख्य नहर के वि0 दू0 186 से 209 तक के नहर बाँध के टॉप लेवल में मापपुस्त में दर्शाए गए टॉप लेवल से कमी पाई गई जबकि स्वीकृत प्राक्कलन में कम्पैक्शन एवं वाटरिंग का प्रावधान था। इसकी कमी के लिए आप दोषी माने गए।

11. उक्त कार्यों के सर्विस रोड की चौड़ाई में एवं डॉवेल के लेवल में कमी पाई गई। इसके कारण कुल 2.01 लाख रूपए के अतिरिक्त भुगतान के लिए आप दोषी माने गए।

12. पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी अन्तर्गत अवर प्रमण्डलों में पदस्थापित कनीय अभियंताओं से कार्य नहीं कराकर अवर प्रमण्डल, टिकारी में मूल रूप से पदस्थापित कनीय अभियन्ता श्री राम चरित्र मिस्त्री से अवर प्रमण्डल, दादर, अवर प्रमण्डल, गोह–1 एवं धर्मपुरा उप वितरणी में अपने स्तर से प्रतिनियुक्त कराकर कार्य कराया गया जिससे कनीय अभियंता से सांठ–गांठ प्रमाणित होता है जिसके लिए आप दोषी माने जाते हैं।

आरोपित पदाधिकारी श्री राम कैलास दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी, गया द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव में आरोपवार मुख्यतः निम्न तथ्य दिया गयाः–

1. आरोप सं0 1 के संबंध में श्री दास द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु नहर में 25 जून से जलस्त्राव हो रहा था एवं चाट लैण्ड में पानी लगा हुआ था जिसके कारण विस्तृत सर्वेक्षण कार्य संभव नहीं था। नहर के बेड की चौड़ाई 25 फीट तथा गहराई 6½ फीट है। कार्य करवाना आवश्यक था जिसके कारण कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ बाँध के कतिपय बिन्दुओं के प्री–लेवल की जाँच की गई एवं उसे लगभग सही पाया गया। ऐसी स्थिति में उसी प्राक्कलन को नए अनुसूचित दर से सुधार कर मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के निदेशानुसार कार्य कराने के पूर्व प्री–लेवल लिया गया जिसकी जाँच असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा कराया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– पुराने प्री–लेवल के आधार पर ही पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया गया है। अतः उसी प्राक्कलन को नए अनुसूचित दर पर सुधारा गया है जिसे विचारोपरान्त उच्चाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने के बाद स्वीकृति दी गई। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई कि स्थानीय परिस्थितियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा लिया जाना संभव है। जाँच दल द्वारा भी कार्य को संतोषप्रद बतलाया गया है। अतः आरोपित का कथन स्वीकार किया जा सकता है। आरोपित के विरूद्ध आरोप सं0 1 प्रमाणित नहीं है।

2. आरोप सं0 2 के बचाव बयान में श्री दास द्वारा कहा गया कि प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात् मुख्य अभियंता से प्राप्त निदेश के आलोक में प्री–लेवल लेने के बाद संवेदक से विधिवत कार्य कराया गया। कराए गए कार्य की जाँच तीन माह बाद जाँच दल द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा पोस्ट लेवल को सही पाया गया। जलस्त्राव की जाँच अधीक्षण अभियंता, प्रभारी सिंचाई कोषांग, पटना तथा श्री के0 पी0 सिंह, जल संसाधन एवं सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना द्वारा पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के वि0 दू0 136.00 से 252.70 तक नहीं की गई। जब लेवल सही था तो रूपांकित जलस्त्राव निश्चित रूप से प्रवाहित होना है। अतः वस्तुस्थिति की जाँच किए बिना लगाया गया उक्त आरोप निराधार है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि रूपांकित जलस्त्राव एवं प्रवाहित जलस्त्राव के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि पुनर्स्थापन के बाद 2004–05 में मुख्य नहर के वि0 दू0 136.89 पर रूपांकित जलस्त्राव 916 क्यूसेक के विरूद्ध 913 क्यूसेक एवं वि0 दू0 209.68 से 252.70 के बीच रूपांकित जलस्त्राव 677–353 क्यूसेक के विरूद्ध 530–411.62 क्यूसेक प्रवाहित हुआ है जिससे नहर एवं वितरणी इत्यादि में रूपांकित जलस्त्राव प्रवाहित होने का प्रमाण मिलता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– कार्यारंभ के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्री–लेवल लिया गया है जिस पर सभी संबंधित अभियंताओं का हस्ताक्षर है। उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा कार्य को संतोषजनक पाया गया है। कार्य की अंकित मापी जाँच दल द्वारा सही पाया गया है। कराए गए कार्य का पोस्ट लेवल एवं नहर बाँध के टॉप की चौड़ाई एवं स्लोप की मापी जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा लिया गया है उसे भी रैण्डम जाँच में सही पाया गया है। अतः आरोप सं0 2 प्रमाणित नहीं होता है।

3. आरोप सं0 3 के बचाव बयान में श्री दास द्वारा कहा गया कि कार्य की निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के क्रम में मुख्य अभियंता, डिहरी के पत्रांक 518 दिनांक 10.02.04 द्वारा कार्य हित में असम्बद्ध प्रमण्डल, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद से प्री–लेवल की जाँच कराने का आदेश दिया गया। इसी आदेश के अनुपालन में उनके (श्री दास) द्वारा प्री–लेवल का कार्य कार्यपालक अभियंता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद तथा उनके अधीनस्थ कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से कराया गया। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यहित में निर्गत आदेश का अनुपालन किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– उड़नदस्ता जाँच दल ने यह महसूस किया था कि प्री लेवल की जाँच गुण नियंत्रण के असम्बद्ध पदाधिकारियों की टीम से कराया जाना श्रेयस्कर होता किन्तु असम्बद्ध पदाधिकारियों द्वारा जाँचित प्री लेवल की मान्यता दी जा सकती है। आरोपित पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही मुख्य अभियंता, डिहरी ने पूर्व से स्वीकृत असम्बद्ध (गुण नियंत्रण प्रमण्डल) का परिवर्तन कर कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद से प्री लेवल कराने का आदेश दिया था।

जाँच दल द्वारा इस परिवर्तन पर आपत्ति व्यक्त किया गया है। फिर भी वर्तमान परिवेश में असम्बद्ध पदाधिकारियों द्वारा जाँचित प्री लेवल की मान्यता दिए जाने की बात कही गई है। गुण नियंत्रण प्रमण्डल के स्थान पर कार्य प्रमण्डल को असम्बद्ध प्रमण्डल के रूप में स्वीकृति देने हेतु आरोपित द्वारा की गई अनुशंसा पर संदेह व्यक्त किए जाने संबंधी जाँच दल के प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित के विरूद्ध आरोप सं0 3 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

4. आरोप सं0 4 के संबंध में श्री दास द्वारा अपने बचाव बयान में बताया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन में मिट्टी की 80 प्रतिशत मात्रा यँात्रिक ढुलाई से एवं शेष 20 प्रतिशत मात्रा हेड लोड से करने का प्रावधान था किन्तु कार्य कराते समय नहर के चार्ट लैण्ड में मिट्टी नहीं थी क्योंकि उक्त बिन्दुओं पर नहर की भराई 45 फीट चौड़ाई एवं 20.2 फीट उंचाई में है। हेड लोड से मिट्टी की ढुलाई की ही नहीं गई लेकिन प्राक्कलन में प्रावधानुसार प्रत्येक बिल में मिट्टी की मात्रा का सिर्फ 80 प्रतिशत ही यँात्रिक ढुलाई से एवं 20 प्रतिशत हेड लोड से गणना कर भुगतान किया गया जिससे सरकार को 1040624.70 रूपये की बचत हुई। जाँच दल द्वारा भी जाँच के क्रम में नहर के चार्ट लैण्ड में कोई बौरोपीट नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– चूँकि हेड लोड से मिट्टी की ढुलाई नही की गई है तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है कि भुगतान स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप हुआ है। इसलिए कोई वित्तीय अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः आरोप सं0 4 प्रमाणित नहीं होता है।

5. आरोप सं0 5 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवर प्रमण्डल, दादर में न तो कोई पैतृक कनीय अभियंता और न ही कोई पैतृक सहायक अभियंता पदस्थापित थे। सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल के प्रभार में रहने के कारण काफी व्यस्त थे। अतः उनकी अनुपस्थिति में कनीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के साथ लीड चार्ट स्थल का भ्रमण कर जाँचोपरान्त हस्ताक्षर किया। चूँकि प्रभारी सहायक अभियंता उक्त स्थल पर उपस्थित नहीं थे जिसके कारण उनका हस्ताक्षर नहीं हो सका। अतः यह कोई गलत मंशा से नहीं बल्कि कार्य में युद्ध स्तर पर प्रगति लाने के उद्धेश्य से किया गया था जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में कहा गया है कि परिस्थितिवश ऐसा हो सकता है किन्तु वर्तमान समय में इसे न तो प्रमाणित और न उचित माना जा सकता है। आरोपित द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उन्होंने प्रभारी सहायक अभियंता को स्थल भ्रमण की सूचना दी हो। फिर भी स्थल भ्रमण के समय कनीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता साथ थे जैसा कि आरोपित पदाधिकारी का कथन है, के आलोक में आरोपित को पूर्णरूपेण दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः आरोप सं0 5 आंशिक रूप से प्रमाणित है।

6. आरोप सं0 6 के संबंध में श्री दास द्वारा अपने बचाव बयान में कहा गया कि वर्णित कार्य फरवरी, 2003 से मार्च, 2004 के बीच कराया गया था जिसकी उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 09.06.04 से 12.06.04 के बीच जाँच की गई। बौरापीट का कार्य के पूर्व प्री लेवल लिया गया जिसे मापपुस्त 853 टी0 में अंकित किया गया तथा कार्य कराने के बाद पोस्ट लेवल लिया गया जिसकी जाँच मुख्य अभियंता के आदेशानुसार निर्धारित असम्बद्ध प्रमण्डल से कराया गया जो लेवल बुक में अंकित है तथा मापीपुस्त सं0 853 टी0 में भी दर्ज किया गया है। इस कार्य के लिए संवेदक द्वारा ट्रैक्टर से मिट्टी की ढुलाई की गई जिसमें कुछ मिट्टी अन्य जगहों से उपलब्ध कर बाँध पर डाला गया। कार्य क्षेत्र पूर्णतः नक्सलग्रस्त होने के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हुई। चूँकि बरसात का मौसम आने वाला था और कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करना था। इसलिए कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए मिट्टी दूसरी जगहों से भी लाया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वरा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा जाँच दल से उक्त स्थलों को भी देखने का अनुरोध किया गया था परन्तु उनके (जाँच दल) द्वारा नहीं देखा गया। यदि अन्यत्र जगहों से लाई गई मिट्टी के बौरोपिट की भी मापी की गई होती तो विसंगति पैदा नहीं होती। श्री दास द्वारा यह भी कहा गया कि जाँच दल द्वारा औसत गहराई साधारण ढंग से मापा गया है जबकि उस जगह प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल को जाँचने पर औसत गहराई 4.5 फीट से 7.41 फीट के बीच आता है। अतः मिट्टी की मात्रा की गणना जाँच दल द्वारा सही नहीं की गई है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– उड़नदस्ता द्वारा 100180.53 घनमीटर कार्य के विरूद्ध वास्तविक रूप में 48805 घनमीटर कार्य का आकलन किया गया है। वहीं जाँच प्रतिवेदन में वि0 दू0 136 से 145 के बीच कार्य को संतोषजनक पाया गया हे। कराए गए कार्य का पोस्ट लेवल एवं नहर बाँध के टॉप की चौड़ाई एवसं स्लोप की मापी रैण्डम जाँच में सही पाया गया। कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, औरंगाबाद के गुण नियंत्रण प्रतिवेदन में कम्पैक्शन के आठ नमूने के कम्पैक्शन को 85 प्रतिशत से 85.26 प्रतिशत के बीच पाया गया जो कार्य की विशिष्टि के अनुरूप है। एक तरफ जाँच दल द्वारा मिट्टी की मात्रा लगभग आधा प्रतिवेदित किया गया है और दूरी ओर कार्य को संतोषजनक पाया गया है तथा कम्पैक्शन भी कार्य की विशिष्टि के अनुरूप पाया गया है। ऐसी स्थिति में जाँच दल को इस हेतु प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल की जाँच लेवलिंग मशीन से करनी चाहिए थी जो नहीं किया गया। आरोपित के कथनानुसार युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए स्वीकृत बौरो एरिया से अलग हटकर अन्य जगहों से मिट्टी लाई गई थी और उसके भुगतान की स्वीकृति प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया था तो ऐसी स्थिति में कार्य प्रमण्डल एवं जाँच दल द्वारा अलग–अलग समय में बौरोपिट की मापी में अन्तर पाया जाना स्वाभाविक है। मिट्टी की

मापी में पाए गए अन्तर के कारण आरोपित द्वारा किया गया भुगतान संदेहास्पद हो जाता है किन्तु आधे के करीब मिट्टी ढुलाई के अन्तर के बावजूद कार्य को संतोषजनक पाना परस्पर विरोधाभासी है। इस अन्तर को सिरे से नकार देना भी उचित नहीं है क्योंकि सही–सही मापी की स्थिति में हो सकता था कि मिट्टी की ढुलाई में कुछ अन्तर पाया जाता। बौरोपिटों की मापी एवं नहर बाँध में रखी गई मिट्टी का सही–सही मिलान नहीं किया है जिसके कारण कुछ न कुछ अधिक भुगतान का मामला हो सकता है। अतः आरोप सं0 6 प्रमाणित होता है।

7. आरोप सं0 7 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी श्री दास द्वारा बताया गया कि मूख्य अभियन्ता द्वारा गठित कमिटि के साथ बौरोपिट का प्री लेवल लेकर लेवल बुक तथा उसके अनुसार मापपुस्त सं0 853 टी0 में तथा कार्य समाप्ति के पश्चात मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित कमिटि के साथ संबंधित पोस्ट लेवल लेकर लेवल बुक में एवं मापीपुस्त सं0 853 टी0 में अंकित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– आरोपित ने अपने बचाव में जो कागजात संलग्न किया है उसके अनुसार मापीपुस्त में प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल अंकित है। लेवल बुक में दर्शाए गए बौरोपिट एवं स्थल पर उपलब्ध बौरोपिट की वास्तविक स्थिति में जॉच दल द्वारा समरूप नहीं पाए जाने के प्रश्न पर कोई स्पष्ट जबाव नहीं है लेकिन पूर्व के समर्पित बचाव बयान में यह उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत बौरो एरिया से अलग हटकर संवेदक द्वारा ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई की गई थी। संभवतः इसी कारण विसंगति पाई गई है। चूँकि जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि कार्य को संतोषजनक पाया गया है और असम्बद्व प्रमण्डल से कराए गए प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल की मान्यता दिए जाने की बात कही गई है। अतः आरोपित को आंशिक रूप से जिम्मेवार मानते हुए आरोप को अंशतः प्रमाणित माना जा सकता है।

8. आरोप सं0 8 के संबंध में श्री दास द्वारा बताया गया कि सामान्यतः कार्य समाप्ति के पश्चात एक बरसात बीत जाने के उपरान्त ही मिट्टी कार्य का अंतिम विपत्र बनाने का प्रावधान है। ऐसा इसलिए व्यावहारिक जान पड़ता है कि कराए गए कार्य में मानवीय भूल के कारण कार्य में त्रुटि रह गई हो तो इसे संवेदक से ठीक करा लिया जा सके या उतनी राशि उनकी जमानत की राशि से काटी जा सके। चूँकि यह कार्य दिनांक 29.03.04 को समाप्त हो चुका था एवं आगामी खरीफ फसल के लिए नहर से पटवन भी होना था। इसी परिप्रेक्ष्य में तुरन्त मिट्टी कार्य का अंतिम विपत्र तैयार कराना उचित नहीं जान पड़ा। यदि उसी समय संवेदक द्वारा कराए गए कार्य का अंतिम विपत्र बना दिया जाता तो संवेदक उसे पारित कराकर जमानत की राशि की वापसी हेतु दबाव बनाने लगते जिससे बाद में किसी भी त्रुटि का उनसे सुधार कराना एवं उनके द्वारा सुधार नहीं करने पर उनकी जमानत की राशि से उसकी कटौती संभव नहीं हो पाती। इसलिए अंतिम विपत्र तत्क्षण नहीं बनाया जाना नियमानुकूल था।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि अंतिम विपत्र का भुगतान एक बरसात के बाद ही किए जाने का प्रावधान है जिस पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। इस आलोक में कार्य समाप्ति की तिथि 29.03.04 एवं जॉच की तिथि 10.06.04 के बीच अंतिम विपत्र नहीं तैयार करने एवं उसका भुगतान नहीं करने हेतु आरोपित को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। आरोप सं0 8 प्रमाणित नहीं होता है।

9. आरोप सं0 9 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी का कथन है कि आरोप सं0 3 के जबाव में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है जिससे इस आरोप का भी जबाव हो जाता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– मुख्य अभियन्ता ने असम्बद्व प्रमण्डल पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद से कराने की अनुमति आरोपित पदाधिकारी के अनुरोध पर कार्यहित में दिया था जिस पर जॉच दल द्वारा आपति प्रकट की गई थी कि इसकी जॉच किसी असम्बद्व कार्य प्रमण्डल से कराए जाने के बदले गुण नियंत्रण प्रमण्ड से कराई जानी चाहिए थी। साथ ही मुख्य अभियन्ता ने प्री लेवल जॉच का आदेश सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल से कराने का आदेश दिया था लेकिन पोस्ट लेव की जॉच भी गुण नियंत्रण प्रमण्डल से नहीं कराकर उसी असम्बद्व प्रमण्डल से कराया गया जो संदेह पैदा करता है जिसके लिए आरोपित दोषी है। अतः आरोप सं0 9 प्रमाणित होता है।

10. आरोप सं0 10 के बचाव बयान में श्री दास द्वारा बताया गया कि उक्त दूरी में कार्य लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था एवं वाटरिंग तथा कम्पैक्शन प्रावधानानुसार 85 प्रतिशत कराया गया था बरसात में नई मिट्टी के बहने, समय के साथ मिट्टी का क्षरण एवं यातायात के कारण भी मिट्टी बैठकर फैल जाती है जिससे टॉप लेवल में कमी स्वाभाविक है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– यह आरोप वि0 दू0 185 से 209 के बीच कराए गए कार्य में 201600 रू0 के अधिक भुगतान से संबंधित है। आरोपित ने इस आरोप के विरूद्व समीचीन एवं उपयुक्त जवाब भी नहीं दिया है। जॉचदल द्वारा कहीं कहीं पॉच फीट की कमी पाई गई है। उड़नदस्ता जॉच दल के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जॉच दल द्वारा सभी जगहों की मापी नहीं की गई है एवं मापे गए तीनों बिन्दुओं को आधार मानकर ही अधिक भुगतान की गणना की गई है। उक्त बिन्दु के बीच कराए गए कार्य के कम्पैक्शन की जॉच के संबंध में जॉच दल ने कोई जिक्र नहीं किया है। जॉच प्रतिवेदन में उल्लिखित अधिक भुगतान की राशि का आकलन पूर्णतः भले ही सही नहीं हो किन्तु इस मद में अधिक भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे आरोप सं0 10 प्रमाणित होता है।

11. आरोप सं0 11 के बचाव बयान में श्री दास द्वारा कहा गया है कि यह कार्य दिनांक 10.11.02 के पूर्व ही कराया गया था तथा कार्य समाप्ति के पश्चात इस नहर से दो बार रबी वर्ष 2003 एवं 2004 तथा खरीफ वर्ष 2003 में खेतों की सिंचाई हेतु पानी चलाया गया। सिंचाई एवं पटवन के साथ साथ बरसात के समय यातायात हेतु इस नहर के सेवापथ का उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ हल्के वाहन का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मिट्टी के क्षरण में मामूली कमी का होना स्वाभाविक है जो प्राकृतिक कारणें से संभव है। इस कार्य की

मापी जॉच दल द्वारा लगभग दो वर्ष बाद किया गया जिससे अन्तर होना तकनीकी दृष्टिकोण से स्वाभाविक है। श्री दास द्वारा यह भी कहा गया कि कुल कराए गए कार्य की मात्रा की राशि 3300986 रूपए का भुगतान किया गया जबकि मापी की कमी की राशि 2.01 लाख मात्र है जो कुल भुगतान का मात्र 6 प्रतिशत है जिसे तकनीकी दृष्टिकोण से आए अन्तर को अतिरिक्त भुगतान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– कराए गए कार्य की तिथि एवं जॉच की तिथि में अन्तर के कारण अधिक भुगतान का सही सही आकलन संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः जॉचदल द्वारा दर्शाए गए अधिक भुगतान की राशि में अन्तर आने की संभावना हो सकती है किन्तु अधिक भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके आलोक में आरोप सं0 11 प्रमाणित होता है।

12. आरोप सं0 12 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि नहर के प्रशाखा के अन्तर्गत कोई भी कनीय अभियन्ता पदस्थापित नहीं थे तथा कार्य की महत्ता को देखते हुए श्री राम चरित्र मिस्त्री, कनीय अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति, अधीक्षण अभियन्ता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद के पत्रांक 357 दिनांक 27.02.03 द्वारा कार्यहित में किया गया था। श्री मिस्त्री के अलावा भी अन्य कनीय अभियन्ता इस कार्य में संलग्न रहे हैं। अतः श्री मिस्त्री, कनीय अभियन्ता से सॉठ गॉठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–आरोपित के कथन को यदि स्वीकार भी कर लिया जाय कि उन्होंने कार्यहित में दूसरे प्रमण्डल में पदस्थापित कनीय अभियन्ता को अपने प्रमण्डल में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त करने की अनुशंसा की थी फिर भी इस प्रतिनियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार संभवतः मुख्य अभियन्ता से स्वीकृति लेनी चाहिए थी। वर्णित मामले में ऐसा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि श्री मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति में मुख्य अभियन्ता का आदेश प्राप्त किया गया था। अतः इस प्रक्रियात्मक भूल के लिए आरोपित को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। अतः अरोप सं0 12 प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रथम एवं द्वितीय आरोप प्रमाणित नहीं होता है। तीसरा आरोप प्री लेवल की जॉच गुण नियंत्रण प्रमण्डल के स्थान पर असम्बद्व प्रमण्डल से कराया जाना है। विभागीय आदेश इस संबंध में यह है कि उसकी जॉच असम्बद्व प्रमण्डल से ही कराया जाना है परन्तु मुख्य अभियन्ता के स्पष्ट आदेश के उल्लंधन का दोष प्रमाणित होता है।

चौथा आरोप वास्तविक ढुलाई की मात्रा की मापी किए बिना प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार मापी दर्ज कर भुगतान किए जाने से संबंधित है। यह आरोप, आरोप सं0 6 एवं 7 से जुड़ा हुआ है जिसमें उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा मात्र 46805 धन मीटर मिट्टी की कटाई का बौरो पीट पाया गया जबकि 100180.53 धन मीटर मिट्टी कार्य का भुगतान कर दिया गया अर्थात मिट्टी कार्य और कैरेज को जोड़कर 2240316/– रूपए का अतिरेक भुगतान किया गया। इस संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तर्क के साथ इन आरोपों को अप्रमाणित पाया गया कि जब नहर का सेक्शन रूपांकित सेक्शन के अनुरूप है तल मिट्टी के कार्य में 51 प्रतिशत की कमी नहीं माना जा सकता है परन्तु अतिरेक भुगतान का आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 12.06.04 से 13.06.04 तक जॉच की गई थी और यह कार्य 29.03.04 को ही समाप्त हुआ था। साथ ही जॉच कार्यकारी मौसम के अधीन था और वर्षा भी नहीं हुई थी। साथ ही उस समय श्री दास उसी प्रमण्डल में पदस्थापित थे और उनके समक्ष जॉच की गई थी। लेवल बुक में अंकित बौरे पीट एवं उड़नदस्ता दल द्वारा जॉचित बौरो पिट से विदित होता है कि न तो बौरो पीट का आकार मिलता है और न ही बौरो पीट की गहराई मिलती है। साथ ही पूर्व के आरोपों में प्री लेवल की जॉच में भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना उल्लिखित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि नहर के प्री लेवल को मैन्यूप्लेट किया गया और कम मिट्टी काटकर अतिरेक भुगतान कर दिया गया। यदि मिट्टी लाई गई होती तो बौरो पीट अवश्य उपलब्ध होता। अतएव आरोप सं0 4, 6 एवं 7 प्रमाणित होता है।

सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आंशिक रूप से प्रमाणित एवं असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 545 दिनांक 02.03.15 द्वारा श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। आरोप सं0 3 के संबंध में श्री दास द्वारा कहा गया कि मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 518 दिनांक 10.02.14 के आदेशानुसार प्री लेवल की जॉच गुण नियंत्रण प्रमण्डल से न कराकर पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद से कराई गई और इससे मुख्य अभियन्ता के आदेश का उल्लंधन नहीं हुआ।

उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि औरंगाबाद प्रमण्डल के अधीन कतिपय मिट्टी कार्यो की प्री लेवल जॉच टिकारी प्रमण्डल एवं टिकारी प्रमण्डल के अधीन मिट्टी कार्यो के प्री लेवल की जॉच औरंगाबाद प्रमण्डल द्वारा की गई है। यह अपने आप में संदेहास्पद है। साथ ही आरोपित कार्यपालक अभियन्ता श्री दास की अनुशंसा पर ही मुख्य अभियन्ता द्वारा प्री लेवल जॉच का संशोधित आदेश पत्रांक 518 दिनांक 10.02.04 निर्गत किया गया हैं यद्यपि मुख्य अभियन्ता के आदेश पत्रांक 518 दिनांक 10.02.04 में निहित निदेश के आलोक में ही प्री लेवल की जॉच असम्बद्व कार्य प्रमण्डल औरंगाबाद से कराई गई। उक्त परिस्थिति में संदेहास्पद है। उड़नदस्ता द्वारा जॉचित प्री लेवल की मान्यता दी गई है परन्तु कार्य प्रमण्डल की टीम से कराना सही नहीं है। अतः श्री दास कार्यपालक अभियन्ता द्वारा आरोप सं0 3 के संबंध में दिया गया प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0 4, 6 एवं 7 के प्रत्युत्तर में श्री दास का कथन है कि हेड लोड से नहर चाट में मिट्टी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में यांत्रिक संसाधन से ढुलाई की गई मिट्टी को स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 80 प्रतिशत यांत्रिक संसाधन से एवं 20 प्रतिशत हेड लोड से भुगतान किया जिससे 1040625.00 रूपए की बचत हुई। कार्य समाप्ति के 2–3 महीने बाद उड़नदस्ता द्वारा जॉच की गई जब तक किसानों द्वारा फसल लगाने हेतु समतलीकरण कर दिया

गया। नक्सली उपद्रव के दृष्टिगत उड़नदस्ता द्वारा सभी पिटों की जॉच न कर मात्र सामने वाला बोरो एरिया की जॉच की गई 100180 धन मीटर की पुष्टि जॉच प्रतिवेदन में की गई है। मात्रा में 48805 धन मीटर की पुष्टि की गई एवं शेष मात्रा 51375 धन मीटर के हेड लोड से ढुलाई मान लिया गया एवं तत्संबंधी बोरो एरिया की जॉच उड़नदस्ता द्वारा नहीं की गई। बोरो एरिया का प्री एवं पोस्ट लेवल असम्बद्व प्रमण्डल से जॉचित एवं मापीपुस्त सं0 853 टी0 में अंकित है परन्तु जॉच दल द्वारा पोस्ट लेवल की जॉच लेवल मशीन से न कर साधारण तरीके से की गई। जिससे वास्तविक गहराई का पता नहीं चला। जॉच दल द्वारा मात्र दो फीट से तीन फीट औसत गहराई साधारण ठंग से मापा गया जबकि प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल का अन्तर 4.50 फीट से 7.41 फीट होता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति टीलानुमा है। वास्तविक आकलन प्री लेवल एवं पोस्ट लेवल से ही किया जा सकता है। कार्य की मापी में मिट्टी सही पाई गई है जिससे स्पष्ट है कि भुगतान किया गया कुल मिट्टी स्वीकृत लीड चार्ट के बोरो एरिया से लाया गया है।

समीक्षा में यह पाया गया कि श्री दास द्वारा पूर्व में दिए गए बचाव बयान से अलग कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि कार्य समाप्ति के 2–3 महीने बाद जॉच दल द्वारा जॉच तिथि के पूर्व किसानों द्वारा समतलीकरण कर दिया गया, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गड्ढ़े को अल्पावधि में समतल किया जाना संभव नहीं है। नक्सली उपद्रव के कारण जॉच दल द्वारा सभी पिटो की मापी नहीं लिया जाना भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उन्हें जॉच दल से तत्काल आपत्ति किया जाना चाहिए था। जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मिट्टी कटाई हेतु आरोपित पदाधिकारी द्वारा अंकित रकबा 621112 वर्गफीट है जबकि जॉच दल द्वारा जॉचित रकबा 719934 वर्ग फीट है। आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि कराए गए कार्य का पोस्ट लेवल जॉच में सही पाया गया है अर्थात मापीपुस्त में अंकित मात्रा को सही माना गया है। यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अन्य दूसरे आरोप से स्पष्ट है कि श्री दास की अनुशंसा पर ही मुख्य अभियन्ता द्वारा प्री लेवल की जॉच कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद से कराने का संशोधित आदेश निर्गत किया गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि जॉच दल द्वारा साधारण तरीके से पीट की गहराई की मापी की गई है जिसके कारण अन्तर आया है। यह भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आरोपित पदाधिकारी द्वारा 5′–0′′ से 7′–6′′ तक गहराई अंकित की गई है जबकि जॉच में 2′ से 4′–0′′ गहराई पाया गया है। साधारण मापी से भी उक्त अंतर की संभावना नहीं है।

अतः श्री दास का आरोप सं0 4, 6 एवं 7 का प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0 5 के प्रत्युत्तर में श्री दास द्वारा कहा गया है कि इस प्रमण्डल के अन्तर्गत अवर प्रमण्डल, दादर में सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता पदस्थापित नहीं थे। प्रभारी सहायक अभियन्ता अपने अवर प्रमण्डल के कार्य में व्यवस्त थे। उनके (श्री दास) द्वारा कनीय अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के साथ लीड चार्ट की जॉच हेतु स्थल भ्रमण किया गया एवं मुख्य अभियन्तता के द्रुत गति से कार्य कराने के निदेश के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर भेज दिया गया। प्रभारी सहायक अभियन्ता स्थल पर उपस्थित नहीं थे जिसके कारण उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया। यह युद्व स्तर पर प्रगति लाने के उद्देश्य से किया गया। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

समीक्षा में यह पाया गया कि श्री दास का यह कहना कि मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के साथ लीड चार्ट की स्थलीय जॉच कर कार्य की द्रुत प्रगति के उद्देश्य से प्रभारी सहायक अभियन्ता जो उस समय उपस्थित नहीं थे, के हस्ताक्षर के बिना लीड प्लान भेज दिया, पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि प्रथमतः मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता जो परिक्षेत्र एवं अंचल के वरीय पदाधिकारी है, के निरीक्षण के समय प्रभारी एवं प्रतिनियुक्त सहायक अभियन्ता स्थल पर उपस्थित न हों, संदेहास्पद है। साथ ही लीड चार्ट पूर्व में तैयार हुआ होगा जिसकी स्थलीय जॉच वरीय पदाधिकारी द्वारा की गई। सामान्य प्रक्रिया के तहत कनीय अभियन्ता के स्तर से तैयार एवं सहायक अभियन्ता तथा कार्यपालक अभियन्ता से जॉचित लीड चार्ट की स्थलीय जॉच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जाती है। स्थलीय जॉच के दौरान प्रभारी सहायक अभियन्ता की उपस्थिति/अनुपस्थिति से लीड चार्ट हस्ताक्षरित न होने का तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। समीक्षोपरान्त आरोप सं0 5 का प्रत्युत्तर पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप सं0 9, 10, 11 एवं 12 के प्रत्युत्तर में श्री दास द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दरम्यान संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा इसके अतिरिक्त ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनका प्रत्युत्तर स्वीकार किया जा सके।

इस प्रकार श्री राम कैलाश दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी, गया के विरूद्व आरोप सं0 3 एवं 5 आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं0 4,6,7,9,10,11 एवं 12 पूर्णतः प्रमाणित है।

उक्त आंशिक एवं पूर्णतः प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री दास के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया हैः–

(i) देय तिथि से पॉच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।

(ii) तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

दण्ड प्रस्ताव की कंडिका (ii) पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 554 दिनांक 20.05.2016 द्वारा सहमति प्राप्त है।

अतः सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम कैलाश दास (आई0 डी0–3865), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टिकारी, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, सहरसा को निम्न दण्ड एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) देय तिथि से पॉच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक।

(ii) तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामा नन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 571-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in